संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

(छ.ग. विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 18 / 2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail - Phone - 07774 -222789, 222791

क्रमांक / ... / अकादमिक / 2021 अम्बिकापुर, दिनांक 3 / ... / 2021

प्रति,

प्राचार्य

समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय

संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय – महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास स्थापना एवं संबंधित अंशदान की राशि राज्य यूथ रेडक्रास कार्यालय को भेजे जाने के संबंध में।

संदर्भ – भारतीय रेडक्रास सोसायटी, छ.ग. राज्य रायपुर का पत्र क्रमांक इरसो / छगराशा / 2020 / 189 रायपुर दिनांक 17.02.2021

संदर्भित विषयांतर्गत समस्त महाविद्यालयों में यूथ रेडक्रास सोसायटी का गठन कर निर्धारित शुल्क छात्र / छात्राओं से लिया जाकर अंशदान की राशि राज्य एवं जिला रेडक्रास कार्यालयों को भेजे जाने का निर्देश है।

अतः संलग्न पत्र के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न – संदर्भित पत्र।

आदेशानुसार

कुलसचिव

संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा

अम्बिकापुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / अकादमिक / 2021 अम्बिकापुर, दिनांक / / 2021

प्रतिलिपि–

(1) चेयरमैन इंडियन रेडक्रास सोसायटी, छ.ग. राज्य शाखा रायपुर को सूचनार्थ।
(2) आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
(3) समस्त कलेक्टर्स, सरगुजा संभाग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
(4) कार्यालयीन नस्ती।

कार्यक्रम समन्वयक

Indian Red Cross Society

[illegible] UNDER ACT XV OF 1920

Pradeep Kumar Sahu
Secretary

State Headquarters, First Floor, Red Cross Bhavan, Collectorate Campus, Raipur (C.G.) 492001

[illegible]
Chairman

क्रमांक / इरेसो / छरासा / [illegible] / 189 रायपुर, दिनांक 17 / 02 / 2021

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी
समस्त जिला शाखा, छ.ग.

विषय – जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जूनियर एवं युथ रेडक्रॉस की स्थापना के संबंध में।

संदर्भ – 1/ छ.ग. राज्य स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर का पत्र क्रमांक / एफ–6 / 2015 / 20 [illegible] रायपुर दिनांक 22 / 05 / 2015.
2/ भारेसो / छराशा / जेआरसी / 272 / 2017 रायपुर दिनांक 06 / 07 / 2017

–0–

संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में रेडक्रॉस शुल्क अंशदान पंजीयन / नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही हेतु मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

1. विद्यालय संबंधी – जेआरसी शुल्क हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल में 30/- रू. प्रत्येक छात्र, छात्रा से प्रतिवर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया है। जेआरसी नियमावली में दर्शाए अनुसार कुल विद्यार्थी संख्या के आधार पर पंजीयन / नवीनीकरण राशि तथा कुल प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत राज्य शाखा को तथा 10 प्रतिशत जिला शाखा को डीडी के माध्यम से भेजना है।

2. महाविद्यालय संबंधी – वायआरसी शुल्क समस्त कॉलेजों में 40/- रू. प्रत्येक छात्र / छात्रा से प्रतिवर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया है। प्रत्येक महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष 250/- रू. पंजीयन / नवीनीकरण राशि तथा कुल संग्रहित राशि का 20 प्रतिशत राज्य शाखा एवं 10 प्रतिशत जिला शाखा को [illegible] से भेजना है।

3. अन्य [illegible] – प्रत्येक शिक्षा सत्र में संस्था [illegible] गतिविधियों की जानकारी प्रतिवेदन अलग अलग [illegible] साथ इस कार्यालय में [illegible] शाखा के माध्यम [illegible] करेंगे।

Pnjan – 250/-
रा.शा – 20%
– 10%

[illegible]

माननीया राज्यपाल एवं अध्यक्ष इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, छ.ग. राज्य शाखा के निर्देशानुसार राज्य के शत–प्रतिशत शासकीय–अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं में जूनियर रेडक्रॉस तथा समस्त महाविद्यालयों (शासकीय–अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई., विज्ञान महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, कृषि–उद्यानिकी एवं अन्य महाविद्यालय इत्यादि) में यूथ रेडक्रॉस का विधिवत गठन कर गतिविधियाँ सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाना है।

रेडक्रॉस संवैधानिक संस्था है जो शासन की सहयोगी संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। शिक्षा संहिता के अध्याय 10 में दिये नियम 125 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में रखी जाने वाली निधियों के अन्तर्गत रेडक्रॉस निधि की स्थापना की व्यवस्था है। यह राशि विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा जेआरसी की आवश्यकताओं पर व्यय हेतु उपयोग की नियमानुसार व्यय की जानी है।

इस प्रकार विद्यालय/महाविद्यालय अथवा जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर रेडक्रॉस राज्य व जिला शाखा के राशि का किसी भी परिस्थिति में ना ही व्यय की जाएगी और ना ही कार्यालय में शेष रखेंगे अन्यथा ऐसी स्थिति में वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानते हुए गैर जिम्मेदारी कार्य करने की कार्यवाही की जाएगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं में जिला रेडक्रॉस के अध्यक्ष होने के नाते और जिला प्रमुख की हैसियत से तत्परता के साथ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सहयोग प्रदान करेंगे।

संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने हेतु जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी अथवा जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करें।

संलग्न :– निर्धारित प्रपत्र

(सोनमणि बोरा)आई.ए.एस.
चेयरमेन
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी
छ0ग0 राज्य शाखा, रायपुर

निरंतर ....3...